राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.10(4)न्याय/1998 जयपुर, दिनांक 25 JUN 2018

–:अधिसूचना:–

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या–59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.11.2012 द्वारा सृजित एवं स्थापित अपर जिला न्यायालय, संख्या 3, जयपुर जिला को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रुप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उक्त अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है। उक्त अधिकरण को केवल उन्हीं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर उक्त अधिकरण को अन्तरित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

25/6/18

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, जयपुर जिला।
9. जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, जयपुर जिला।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित्)
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

25/6/18

संयुक्त शासन सचिव